

THE MADHYA.PRADESH GOVANSH VADH PRATISHEDH ADHINIYAM, 2004¹

[No. 6 of 2004]*

[Received the assent of the Governor on the 26th March, 2004; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)" dated the 29th March, 2004.]

¹[An Act to provide, in the interest of general public and to maintain communal harmony and peace, for prohibition of slaughter of cow progeny, and for preservation and conservation of cow progeny and for matters connected therewith or incidental thereto.]

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Fifty-fifth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title, extent and commencement.— (1) This Act may be called the **Madhya pradesh Govansh Vadh Pratishedh Adhiniyam, 2004.**

(2) It extends to the whole of the State of Madhya Pradesh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. Definitions.— In this Act, unless the context otherwise requires—

- (a) "beef" means flesh of cow progeny, whose slaughter is prohibited under this Act;
- (b) "cow progeny" means cows, bulls, bullocks and calves of cows;
- (c) "Competent Authority" means a person appointed by the State Government by notification to perform in any local area specified therein, the functions of a competent authority under this Act;
- (d) "institution" means any charitable institution registered under any enactment for the time being in force, established for the purpose of keeping, breeding and maintaining cow progeny or for the purpose of reception, protection, care, management and treatment of infirm, aged and diseased cow progeny;
- ²(e) "slaughter" means killing by any method whatsoever and includes maiming or inflicting of physical injury which in the ordinary course will cause death or doing any act with the intention of causing unnatural death;
- (ea) "transport" means to carry cow progeny from one place to another either by any vehicle or on foot, except when such transport is for *bonafide* agricultural or ancillary purposes;

* Published in Madhya Pradesh Rajpatra (Asadharan) dated 29-03-2004 at pp. 198-198 (7).

1. Subs. by M.P. Act No. 43 of 2011.

2. Subs. by M.P. Act No. 43 of 2011.

मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004

[क्रमांक 6 सन् 2004]*

[दिनांक 26 मार्च, 2004 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" दिनांक 29 मार्च, 2004 को प्रथम बार प्रकाशित की गई।]

[जनसाधारण के हित में और सांप्रदायिक सद्भाव तथा शांति बनाए रखने के लिए गौवंश वध का प्रतिषेध करने तथा गौवंश के परिरक्षण तथा संरक्षण के लिए और उससे संसक्त या आनुषंगिक मामलों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम।]

भारत गणराज्य के पचपनवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.— (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम, 2004 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर है।

(3) यह "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं.— इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "गौ-मांस" से अभिप्रेत है गौवंश जिसका वध इस अधिनियम के अधीन प्रतिषिद्ध किया गया है, का मांस;

(ख) "गौवंश" से अभिप्रेत है गाय, सांड, बैल और गाय के बछड़े;

(ग) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जिसे राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, किसी स्थानीय क्षेत्र में विनिर्दिष्ट कृत्यों का निर्वहन करने के लिए इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया हो;

(घ) "संस्था" से अभिप्रेत है तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन गौवंश को रखने, उनके प्रजनन तथा भरण-पोषण करने के प्रयोजन के लिए या अशक्त, बूढ़े और रोगी गौवंश को ग्रहण करने, उनका संरक्षण, देखभाल, प्रबंध तथा उपचार करने, के प्रयोजन के लिए स्थापित की गई रजिस्ट्रीकृत कोई पूर्त संस्था;

(ङ) "वध" से अभिप्रेत है, किसी भी पद्धति से, चाहे वह कुछ भी हो, हत्या करना और उसमें इस प्रकार अंगहीन करना या कोई शारीरिक चोट पहुंचाना भी सम्मिलित है जिससे सामान्य अनुक्रम में मृत्यु हो जाए या अप्राकृतिक मृत्यु कारित करने के आशय से कोई कृत्य करना;

(ड क) "परिवहन" से अभिप्रेत है, सिवाय उस स्थिति के, जबकि ऐसा परिवहन वास्तविक कृषि या आनुषंगिक प्रयोजनों के लिए किया जा रहा हो, गौवंश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर या तो किसी यान द्वारा या पैदल ले जाना;

* मध्यप्रदेश के राजपत्र (असाधारण) दिनांक 29-03-2004 पृष्ठ 198-198(7) पर प्रकाशित।

1. म.प्र. अधिनियम क्र. 43 सन् 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. म.प्र. अधिनियम क्र. 43 सन् 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

- (eb) **“transporter”** means and includes the person,—
- (i) who is the owner of the vehicle carrying the cow progeny or beef, if the cow progeny or beef has been booked under his instruction or within his knowledge;
 - (ii) who for the time being in charge of the vehicle and his assistant, carrying the cow progeny or beef;
 - (iii) who is in charge of transport company, for the time being, transporting the cow progeny and beef, if booking has been undertaken under his instruction or within his knowledge;
 - (iv) who is the partner of a transport firm, if the booking has been undertaken under his instruction or within his knowledge;]
- (f) **“Veterinary Officer”** means a person appointed as a Veterinary Officer under Section 3;
- (g) **“Vehicle”** means any mechanically or manually driven conveyance used on land, water or air.

3. Appointment of Veterinary Officer.—The Commissioner-cum-Director of Veterinary Services, Madhya Pradesh, may, by a general or special order, appoint for the purposes of this Act, any person, or class of persons, to be the Veterinary Officer for a local area specified in the order.

[4. Prohibition of slaughter of cow progeny.— No person shall slaughter or cause to be slaughtered or offer or cause to be offered for slaughter of any cow progeny by any means.

5. Prohibition on possession and transport of beef.— No person shall have in his possession or shall transport beef of any cow progeny slaughtered in contravention of the provisions of this Act.]

[6. Prohibition on transport of cow progeny for slaughter.—No person including transporter shall transport or offer for transport or cause to be transported any cow progeny himself or by his agent, servant or by any other person acting in his behalf within the State or outside the State for the purpose of its slaughter in contravention of the provisions of this Act or with the knowledge that it will be or is likely to be so slaughtered.

6A. Prohibition of export of cow progeny and grant of permit.— (1) No person including transporter shall export or cause to be exported any cow progeny himself or by his agent, servant or by any other person acting in his behalf from any place of the State to any place out side the State without permit as provided in subsection (2).

(2) The Competent Authority may grant a permit within seven days on presenting application in this behalf, in such manner as may be prescribed for export of cow progeny from Madhya Pradesh for agricultural of dairy farming purposes or

1. Subs. by M.P. Act No. 43 of 2011.

2. Subs. by M.P. Act No. 42 of 2011.

(ड ख) "परिवाहक" से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है वह व्यक्ति,—

- (एक) जो गौवंश या गौमांस का परिवहन करने वाले यान का स्वामी है, यदि गौवंश या गौमांस उसके अनुदेश से या उसकी जानकारी में बुक किया गया है;
- (दो) जो गौवंश या गौमांस का परिवहन करने वाले यान का तत्समय प्रभारी तथा उसका सहायक है;
- (तीन) जो गौवंश तथा गौमांस का परिवहन करने वाली परिवहन कम्पनी का तत्समय प्रभारी है, यदि बुकिंग उसके अनुदेश से या उसकी जानकारी में की गई है;
- (चार) जो किसी परिवहन फर्म का भागीदार है, यदि बुकिंग उसके अनुदेश से या उसकी जानकारी में की गई है।]
- (च) "पशु चिकित्सा अधिकारी" से अभिप्रेत है धारा 3 के अधीन पशु चिकित्सक के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति;
- (छ) "यान" से अभिप्रेत है भूमि, जल या वायु मार्ग से उपयोग में लाए गए यांत्रिकी या हस्तचलित वाहन।

3. पशु चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति.— आयुक्त-सह-संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं मध्यप्रदेश सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को आदेश में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

4. गौवंश के वध का प्रतिषेध.— कोई भी व्यक्ति, किन्हीं भी साधनों से, किसी गौवंश का न तो वध करेगा, न वध करवाएगा और न तो उन्हें वध के लिए देगा और न ही उन्हें वध के लिए दिलवाएगा।

5. गौमांस रखने और उसके परिवहन का प्रतिषेध.— कोई भी व्यक्ति, इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में वध किए गए किसी गौवंश के गौमांस को अपने कब्जे में नहीं रखेगा या उसका परिवहन नहीं करेगा।]

6. वध के लिए गौवंश के परिवहन पर प्रतिषेध.— कोई भी व्यक्ति जिसमें परिवाहक भी सम्मिलित है, किसी गौवंश का, इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में, उसके वध के प्रयोजन के लिए या यह जानते हुए कि उसका इस प्रकार वध किया जाएगा या उसके वध किए जाने की संभावना है, राज्य के भीतर या राज्य के बाहर, स्वयं या अपने एजेंट, नौकर द्वारा या उसके निमित्त कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, परिवहन नहीं करेगा या उसे परिवहन के लिए नहीं देगा या उसका परिवहन नहीं करवाएगा।

6-क. गौवंश के निर्यात का प्रतिषेध और अनुज्ञापत्र का मंजूर किया जाना.— (1) कोई भी व्यक्ति, जिसमें परिवाहक भी सम्मिलित है, किसी गौवंश का स्वयं या अपने एजेंट, नौकर द्वारा या उसके निमित्त कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उपधारा (2) में यथा उपबंधित अनुज्ञापत्र के बिना राज्य के किसी स्थान से राज्य के बाहर के किसी स्थान को निर्यात नहीं करेगा या निर्यात नहीं करवाएगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, कृषिक या डेयरी उद्योग के प्रयोजनों के लिए या किसी पशु मेले में भाग लेने के लिए और इसी प्रकार के प्रयोजनों के लिए जो वध के प्रयोजन से भिन्न हों, मध्यप्रदेश से गौवंश का निर्यात करने के लिए इस निमित्त आवेदन प्रस्तुत किए जाने के सात

1. म.प्र. अधिनियम क्र. 43 सन् 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. म.प्र. अधिनियम क्र. 43 सन् 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

for participation in a cattle fair and like purposes except for the purpose of slaughter.

(3) Any person seeking permit under sub-section (2) aggrieved by an order of the Competent Authority may make an application within thirty days from the date of receipt of the order to the Divisional Commissioner, and the Divisional Commissioner may upon such application call for the examine the record of the case for the purpose of satisfying himself as to the correctness, legality or propriety of any order and may pass such order as it may deem just and proper and the order passed by the Divisional Commissioner shall be final and shall not be called in question in any civil court.

6B. Prohibition of transporting cow progeny via Madhya Pradesh and grant of transit permit.— No person including transporter shall transport cow progeny via Madhya Pradesh State and if any person including transporter wants to transport any cow progeny from one State to other via Madhya Pradesh State, then he shall take transit permit from Competent Authority in such manner as may be prescribed.]

7. Strengthening of institutions.— The State Government shall take necessary steps for strengthening of institutions which are engaged in welfare activities of cow progeny.

8. Levy of charges.— The person incharge of institution may levy such charges as may be prescribed, for care and maintenance of infirm, aged and diseased cow progeny from their owners.

9. Penalties.— (1) Whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of Section 4 shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to seven years and with fine which shall not be less than five thousand rupees.

(2) Whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of Sections 5, 6, 6A and 6B shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to three years and with fine which shall not be less than five thousand rupees.]

10. Offences to be cognizable and non-bailable.— Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) all offences under this Act shall be cognizable and non-bailable.

11. Power of entry, inspection, search and seizure.— (1) For the purpose of enforcing the provisions of this Act, the Competent Authority of any person authorized by the Competent Authority in writing in this behalf shall have power to enter and inspect any premises within the local limits of his jurisdiction, where he has reason to believe that an offence under this Act has been, is being or is likely to be committed and shall take necessary action.

(2) Every person in occupation of any such premises as is specified in sub-

1. Subs. by M.P. Act No. 43 of 2011.

2. Subs. by M.P. Act No. 43 of 2011.

दिन के भीतर अनुज्ञापत्र मंजूर कर सकेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञापत्र की वांछा करने वाला कोई व्यक्ति, जो सक्षम प्राधिकारी के आदेश से व्यथित है, आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर संभागीय आयुक्त को आवेदन कर सकेगा, और संभागीय आयुक्त ऐसा आवेदन किया जाने पर, किसी आदेश की शुद्धता उसकी वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए मामले के अभिलेख मंगा सकेगा और उनका परीक्षण कर सकेगा तथा ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह न्यायसंगत और उचित समझे और संभागीय आयुक्त द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा और किसी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

6-ख. मध्यप्रदेश से होकर गौवंश के परिवहन का प्रतिषेध और अभिवहन अनुज्ञापत्र का दिया जाना.— कोई भी व्यक्ति, जिसमें परिवहक भी सम्मिलित है, मध्यप्रदेश राज्य से होकर गौवंश का परिवहन नहीं करेगा और यदि कोई व्यक्ति, जिसमें परिवहक भी सम्मिलित है, एक राज्य से दूसरे राज्य को मध्यप्रदेश राज्य से होकर किसी गौवंश का परिवहन करना चाहता है तो वह सक्षम प्राधिकारी से ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, अभिवहन अनुज्ञापत्र प्राप्त करेगा।]

7. संस्थाओं का सुदृढीकरण.— राज्य सरकार ऐसी संस्थाओं के सुदृढीकरण के लिए आवश्यक कदम उठाएगी जो गौवंश कल्याण में लगी हुई हों।

8. प्रभारों का उद्ग्रहण.— संस्था का भारसाधक व्यक्ति, अशक्त, बूढ़े और रोगी गौवंश की देखभाल तथा भरण-पोषण के लिए उनके स्वामियों से ऐसे प्रभारों का उद्ग्रहण कर सकेगा जैसा कि विहित किया जाए।

9. शास्ति.— (1) जो कोई धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन का प्रयास करेगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा वह कारावास से जो एक वर्ष से कम का नहीं होगा, किन्तु जो सात वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये से कम का नहीं होगा, दण्डित किया जाएगा।

(2) जो कोई धारा 5, 6, 6-क और 6-ख के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन का प्रयास करेगा या उसका दुष्प्रेरण करेगा, वह कारावास से जो छह मास से कम का नहीं होगा, किन्तु जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये से कम का नहीं होगा, दण्डित किया जाएगा।]

10. अपराधों का संज्ञेय तथा अजमानतीय होना.— दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का सं. 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन समस्त अपराध संज्ञेय तथा अजमानतीय होंगे।

11. प्रवेश, निरीक्षण, तलाशी तथा अभिग्रहण की शक्ति.— (1) इस अधिनियम के उपबंधों को प्रवर्तित करने के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी को या सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर के किसी भी ऐसे परिसर में, जिसके कि संबंध में उसके पास यह विश्वास करने का कारण हो कि वहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है, प्रवेश करने तथा उसका निरीक्षण करने की शक्ति होगी और वह आवश्यक कार्रवाई करेगा।

(2) प्रत्येक व्यक्ति जो उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किए गए किसी परिसर पर-अधिभोग रखता हो, सक्षम प्राधिकारी को या सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित में प्राधिकृत किसी व्यक्ति को उस परिसर में ऐसा प्रवेश

1. म.प्र. अधिनियम क्र. 43 सन् 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

2. म.प्र. अधिनियम क्र. 43 सन् 2011 द्वारा प्रतिस्थापित।

section (1) shall allow the Competent Authority or any person authorized by the Competent Authority in writing, such access to the premises as he may require for the aforesaid purpose, and shall answer any question put to him by the Competent Authority or the person authorized, as the case may be, to the best of his knowledge and belief.

(3) Any police officer not below the rank of Head constable or any person authorized in this behalf by Competent Authority may, with a view to securing compliance of the provisions of Sections 4, 5, 6A and 6B or for satisfying himself that the provisions of the said sections have been complied with.

- (a) stop, enter and search any vehicle used or intended to be used for the export of cow progeny or beef;
- (b) seize or authorize the seizure of cow progeny, in respect of which he suspects that any provision of Sections 4, 5, 6, 6A and 6B has been, is being or is about to be contravened, along with the vehicle in which such cow progeny or beef are found and thereafter take or authorize the taking of all measures necessary for securing the production of the cow progeny and vehicle so seized, in a court and for their safe custody pending the trial.

(4) The provision of Section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (No. 2 of 1974) relating to search and seizure shall, so far as may be, apply to searches and seizures under this Section.

(5) In case of any violation of Sections 4, 5, 6, 6A and 6B, the police shall be empowered to seize the vehicle, cow progeny and beef, and the District Magistrate shall confiscate such vehicles, cow progeny and beef in such manner as may be prescribed.

11A. Appeal against order of confiscation.— (1) Any person aggrieved by an order of confiscation under sub-section (5) of Section 11 may, within thirty days of the order, or if fact of such order has not been communicated to him, within thirty days of date of knowledge of such order, prefer an appeal in writing with certified copy of order of confiscation, accompanied by such fee and payable in such manner as may be prescribed, to the Divisional Commissioner (hereinafter referred to as the Appellate Authority).

Explanation.— The time requisite for obtaining certified copy or order of confiscation shall be excluded while computing period of thirty days referred to in this sub-section.

(2) The Appellate Authority referred to in sub-section (1) shall, on presentation of memorandum of appeal, issue a notice for hearing of appeal to the officer effecting seizure and to any other person who in the opinion of the Appellate Authority, is likely to be adversely affected by the order of confiscation, and call for the record of the case :

Provided that no formal notice of appeal need be issued to the appellant,